

तारीख हुयम	हुयम या कार्यवाही मय लघुहरताकार जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुयम की तारीख में जारी हुए
<p>19.01.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र स्थगन से सम्बन्धित मूल प्रार्थना पत्र पुनः वि्लोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपटित आदेश 47 सीपीसी व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी वकूलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर आज अंतिम निर्णय पारित किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र पुनः वि्लोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपटित आदेश 47 सीपीसी व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी फ़ैसल हो चुका है। अतः मूल प्रार्थना पत्र पुनः वि्लोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपटित आदेश 47 सीपीसी व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के फ़ैसल हो जाने से इस प्रार्थना पत्र स्थगन को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">(दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	<p>ग्लेन को डिजिटल if app. 03/01/24 is accepted & decre cancelled thereof: 23/01/24</p>
<p>23.01.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र स्थगन से सम्बन्धित मूल प्रार्थना पत्र पुनः वि्लोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपटित आदेश 47 सीपीसी व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी वकूलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर आज अंतिम निर्णय पारित किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र पुनः वि्लोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपटित आदेश 47 सीपीसी व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी फ़ैसल हो चुका है। अतः मूल प्रार्थना पत्र पुनः वि्लोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपटित आदेश 47 सीपीसी व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के फ़ैसल हो जाने से इस प्रार्थना पत्र स्थगन को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">(दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	<p>QR Code</p>